भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2924

बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक पार्क

2924. डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार तमिलनाडु के पेरंबलूर संसदीय क्षेत्र के औद्योगिक रूप से पिछड़े थुराइयार में औद्योगिक पार्क और उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा और निकट भविष्य में उद्योगों की स्थापना की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): वर्तमान में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की थुराइयार, तमिलनाडु में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख): लागू नहीं।

(ग) से (ङ): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 1 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना सं. 12(4)/2001-आईपीएंडआईडी के जरिए 'औद्योगिक पार्क स्कीम' अधिसूचित की गई थी और यह स्कीम 31 मार्च, 2006 को समाप्त हो गई है। जुलाई, 2013 में संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (एमआईआईयूएस) अधिसूचित की गई थी जिसका उद्देश्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की संभावना वाले चुनिंदा कार्यशील क्लस्टरों/अवस्थानों में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान करके घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना था और यह स्कीम 31.03.2017 तक वैध थी।

****